संख्या'-11/3019/14-2-2014-800(117)/2014

प्रेषक,

पवन कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 23 सितम्बर, 2014

विषय- जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0,लखनऊ द्वारा बाराबंकी;देवा;फतेहपुर मार्ग किमी0 01 से 03 के मध्य रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु 1.632 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-202/11सी-बाराबंकी, दिनांक 13 अगस्त, 2014 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या- 8बी/यूपी/09/157/2013/एफसी/1353, दिनांक 21-11-2013 तथा विधिवत स्वीकृति संख्या- 8बी/यूपी/ 09/ 157/2013/एफसी/733, दिनांक 04-7-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0,लखनऊ द्वारा बाराबंकी;देवा;फतेहपुर मार्ग किमी0 01 से 03 के मध्य रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु 1.632 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति, भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो को सम्मिलित करते हुए प्रदान करते हैं

(1) भा0स0 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 3.264 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित व़क्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

http://jnasanadesh.up.nic.in

(4) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

(5) भा0स0 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(6) भा0स0 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(7) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(8) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(9) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(10) भा0स0 निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य क निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(11) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण् के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(12) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके स्व्यं के व्यय पर प्रस्तावित सेतु के नीचे संपूर्ण लम्बाई में भूमि स्तर से 03 फीट ऊपर ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जायेगा एवं ग्रीन बेल्ट निर्माण की योजना एवं सूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध् करायी जायेगी।3'

(13) भा0स0 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकारक द्वारा स्वीक़ति को निरस्त करने का अधिकारक सुरक्षित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(15) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(16) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो
उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(17) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(18) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार कहोगा।

(19) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(20) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक
विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(21) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से

http://sirsanadesh.up.nic.in

अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(22) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग एवं

ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(23) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(24) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(पवन कुमार)
सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- प्रमुख सचिव, आई0टी0इलेक्ट्रानिक्स उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
(3)- वन संरक्षक, सरयू वृत्त, फैजाबाद ।
(4)- जिलाधिकारी, शामली ।
(5)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी।
(6)- परियोजना प्रबन्धक , उ0प्र0 राज्य सेतु निगम सेतु निर्माण इकाई2, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एy0शुक्ला)
अनुसचिव।

http://sasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in